न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आरएएस

राजस्व वाद संख्या :– 51 / 2022

1. सुखदेव सिह पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. इन्द्राज पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. राजकुमार पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. बिरूराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
5. दिवान चंद पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
6. विजय सिह पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र हरदयाल सिंह जाति मेघवाल साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. राजपाल कौर पत्नी मांगीलाल जाति मेघवाल साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88, 53 बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अर्जुनसिंह नरूका, अधिवक्ता —–वादीगण
2. श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता —**प्रतिवादी सं. 1 व 2**
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा —**प्रतिवादी सं. 3**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 16/7/2022

यह वाद पत्र वादीगण 1 ता 6 ने प्रतिवादी 1 ता 2 के विरूद्ध धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादी स. 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 बी.एल.डब्ल्यू. के खाता 64/71 प.न. 32/245 के किला न. 1 व 2 की 0.506 हैक्टेयर नहरी व इसी चक के प.न. 33/245 के किला न. 1/2/.190, 2 ता 4, 5/1/.228, 5/2/.025 की 1.202 हैक्टेयर नहरी मय गैर मु. खाला कुल दोनो पत्थरो की 1.708 हैक्टेयर नहरी मय गैर मु. खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो पैतृक कृषि भूमि है ।

यह कि दावा की दफा [illegible] भूमि है, जिसमें मिन वादीगण का हक व हिस्सा निहित है, मिन वादीगण प्रतिवादी [illegible] से हक व हिस्से अनुसार उक्त पैतृक कृषि भूमि का घरा घरू तौर [illegible] तथा अपने को बंटवारे में प्राप्त कृषि भूमि अनुसार ही [illegible] निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त है, कब्जे के सम्बंध में किसी प्रकार [illegible] बंटवारा में वादीगण व प्रतिवादी पक्ष को निम्नानुसार भूमि प्राप्त हुई है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:15 IST
Reason: SelfAttested

वादी स. 1 सुखदेव सिह

चक 5 बी.एल.डब्ल्यू. के खाता 64/71 प.न. 33/245 के किला न. 1/2/.152, 2/1/.101 कुल 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि

16/07/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादी स. 2 इन्द्राज
चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 33/245 के किला न. 2/2/.114, 3/1/.139
कुल 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि
वादी स. 3 राजकुमार
चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 33/245 के किला न. 3/2/.076, 4/1/.177
कुल 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि
वादी स. 4 बीरूराम
चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 33/245 के किला न. 4/2/.038, 5/1/0.215
कुल 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि
वादी स. 5 दिवान चंद
चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 32/245 के किला न. 1 की कुल 0.253 हैक्टेयर
नहरी कृषि भूमि
वादी स. 6 विजय सिह
चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 32/245 के किला न. 2 की कुल 0.253 हैक्टेयर
नहरी कृषि भूमि
प्रतिवादी स. 1 मांगीलाल
चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 33/245 के किला न. 1/3/.038, 2/3/.038,
3/3/.038, 4/3/.038, 5/3/.038 कुल 0.190 हैक्ट नहरी कृषि भूमि

प्रतिवादिया स. 2 राजपाल कौर जो मिन वादीगण की बहिन है ने अपना हिस्सा दान दहेज व संम्पदा के रूप में प्राप्त कर लिया है, वह उक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती, इसलिये उक्तानुसार मिन वादीगण अपनी कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने व इसी अनुसार अपना खाता अलग अलग करवाने के अधिकारी है, तथा अपने को प्राप्त कृषि भूमि मे से प्रतिवादी स. 1 मागीलाल का नाम व हिस्सा कलमजन करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी स. 1 ने उक्तानुसार वाद में वर्णित कृषि भूमि का वर्णितानुसार घराघरू तौर पर बंटवारा कर रखा है, अपने को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर मिन वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त है, मिन वादीगण के कब्जा काश्त को लेकर अन्य प्रतिवादीगण को भी कोई उजर ऐतराज नही है। मिन वादीगण अपने को बंटवारे में प्राप्त उक्त कृषि भूमि की वाद में वर्णितानुसार व उक्तानुसार कब्जा काश्त में अनुसार खातेदारी घोषणा प्राप्त करने व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड करवाने व कब्जा काश्त अनुसार खाता अलग अलग करवाने के अधिकारी है, तथा प्रतिवादी स. 1 का नाम व हिस्सा कलमजन करवाने के अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 14.02.2022 को वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 मय अधिवक्तागण हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 [illegible] के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्र [illegible] 4.5(1[illegible]/6/97/10 दिनांक 08.09. 1997 के अनुसार सह कृषकों [illegible] ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है हिन्दु [illegible] अनुसार पुत्र को अपने पिता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:15 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] 16/04/22 [illegible] एवं
सहायक [illegible]
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

वादी स. 1 सुखदेव सिह
चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 33/245 के किला न. 1/2/.152, 2/1/.101 कुल 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि

वादी स. 2 इन्द्राज
तहसील पीलीबंगा के चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 33/245 के किला न. 2/2/.114, 3/1/.139 कुल 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि

वादी स. 3 राजकुमार
चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 33/245 के किला न. 3/2/.076, 4/1/.177 कुल 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि

वादी स. 4 बीरूराम
चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 33/245 के किला न. 4/2/.038, 5/1/0.215 कुल 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि

वादी स. 5 दिवान चंद
चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 32/245 के किला न. 1 की कुल 0.253 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि

वादी स. 6 विजय सिह
चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 32/245 के किला न. 2 की कुल 0.253 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि

प्रतिवादी स. 1 मांगीलाल
चक 5 बी.एल.डब्ल्यू के खाता 64/71 प.न. 33/245 के किला न. 1/3/.038, 2/3/.038, 3/3/.038, 4/3/.038, 5/3/.038 कुल 0.190 हैक नहरी कृषि भूमि

पर्चा डिक्री जारी हो। यदि किसी सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन न हो तो तहसीलदार आदेश का अमलदरामद करें। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:39:13 IST
Reason: SelfAttested

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा